Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: https://www.svajrs.com/
ISSN: 2584-105X

भारत में शरणार्थियों की नागरिकता: संवैधानिक प्रावधान और कानूनी परिप्रेक्ष्य

राम कैलाश यादव
अनुसंधान छात्र, विधि संकाय, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय , प्रयागराज

सारांश

यह शोध पत्र भारत में शरणार्थियों की नागरिकता के संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण करता है। भारत का संविधान, विशेष रूप से भाग II, नागरिकता के विषय पर महत्वपूर्ण प्रावधान देता है, लेकिन शरणार्थियों के संदर्भ में स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 विभाजन के समय पाकिस्तान से आए प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करते हैं, हालांकि इन्हें शरणार्थी के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 ने नागरिकता प्राप्त करने, समाप्त करने और रद्द करने के लिए विस्तृत प्रावधान किए हैं। इसमें पंजीकरण और प्राकृतिककरण द्वारा शरणार्थियों को नागरिकता देने के तरीके शामिल हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता के प्रावधानों में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं ताकि शरणार्थियों के बच्चों के स्वचालित नागरिकता अधिग्रहण को नियंत्रित किया जा सके और अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्राप्त करने से रोका जा सके।

2003 के संशोधन ने नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों को सख्त बना दिया है, जिससे शरणार्थियों के बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने से रोक दिया गया है। इस शोध पत्र से स्पष्ट होता है कि भारत में शरणार्थियों की नागरिकता की प्रक्रिया जटिल और विकासशील है, जिसमें आगे के शोध और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है।

इस प्रकार, यह अध्ययन शरणार्थियों की नागरिकता के संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देता है और भविष्य में इस मुद्दे पर और अधिक गहन विश्लेषण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

प्रमुख शब्द- शरणार्थी नागरिकता, भारतीय संविधान, नागरिकता अधिनियम 1955, संवैधानिक प्रावधान, कानूनी परिप्रेक्ष्य

प्रस्तावना

अरस्तू ने कहा है कि किसी देश का संविधान उसके निवासियों को एक विशेष व्यवस्था में रखने का प्रयास है। चूंकि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, यह भाग ॥ के तहत नागरिकता के बारे में प्रावधान देता है। यह भाग संविधान के प्रारंभ के समय लोगों की नागरिकता के बारे में चर्चा करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन हैं। प्रत्येक देश को अपने नागरिकों का निर्धारण करना होगा। कला। 5 से 11, नागरिकता के विषय से निपटते हैं और भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता है। अनुच्छेद 5 जन्म के आधार पर या भारत में माता-पिता के जन्म के आधार पर या भारत में निवास के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। कला। 8 उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जिनका भारत से जातीय संबंध है यानी जिनके दादा-दादी भारत में पैदा हुए थे। हालाँकि, ये अनुच्छेद शरणार्थियों पर चर्चा नहीं करते हैं।

संविधान और शरणार्थी

संविधान के तहत ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है जो शरणार्थियों को नागरिकता देता हो। लेकिन दो अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 हैं जो भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता के बारे में प्रावधान देते हैं। ये व्यक्ति पाकिस्तान से आए शरणार्थी थे जिन्हें इन प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता दी गई थी।

अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान करता है संविधान के प्रारंभ के समय, यदि:

- वह या उसके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई भी भारत में पैदा हुआ हो, भारत सरकार अधिनियम, 1935.
- जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए थे और अपने प्रवास की तारीख से भारत में रह रहे हैं।
- एक व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया और भारत सरकार द्वारा नियुक्त उचित प्राधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत है और प्राधिकरण को आवेदन दाखिल करने की तारीख से पिछले 6 महीने से भारत में रह रहा है।

यहां, यह अनुच्छेद शरण शब्द का उपयोग नहीं करता है, लेकिन यदि उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए, तो यह उन शरणार्थी लोगों के बारे में बात कर रहा है जो उस देश में उत्पीड़न के डर से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके भारत चले आए क्योंकि यह एक तथ्य है कि स्थितियां या उस

समय धार्मिक उत्पीड़न के तनाव व्याप्त थे। तो इसका मतलब यह है कि यह अनुच्छेद उन लोगों को नागरिकता दे रहा है जो पाकिस्तान से शरणार्थी थे।

वहीं, संविधान के अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति भारत में पुनर्वास की अनुमति के साथ भारत लौटते हैं और यह भारत के उचित अधिकारियों द्वारा जारी किया गया है, तो वे भारत के नागरिक होंगे और कला के तहत 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में प्रवासित माने जाएंगे। 6. यह प्रावधान पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भी नागरिकता देता है।

इस प्रकार भारत का संविधान शरणार्थियों को नागरिकता के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहता है। कला। 6 और कला. 7, दो अनुच्छेद हैं जो भारत से आने और जाने वाले लोगों पर लागू होते हैं, जो वास्तव में शरणार्थी थे, लेकिन संविधान के तहत उन्हें शरणार्थी नहीं कहा जाता है।

नागरिकता के कानून द्वारा शरणार्थियों को नागरिकता

नागरिकता हर देश का आंतरिक विषय है। अपने नागरिकों की पहचान करना और उनका निर्धारण करना प्रत्येक राज्य का अधिकार है। नागरिकों और गैर-नागरिकों के बीच अंतर करने के लिए नागरिकता के कानून की आवश्यकता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 की तारीख को लोगों की नागरिकता निर्धारित करता है लेकिन नागरिकों की आगे की पीढ़ियों के लिए नागरिकता निर्धारित करने के लिए एक कानून की आवश्यकता थी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार देता है और इस शक्ति का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया। यह अधिनियम नागरिकता देने, समाप्त करने और रद्द करने के बारे में प्रावधान देता है। यह पांच तरीकों से नागरिकता देता है यानी जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, और क्षेत्र के अधिग्रहण द्वारा।

यह अधिनियम शरणार्थियों सहित गैर-नागरिकों को भारत की नागरिकता देने के लिए कुछ प्रावधान भी देता है, इसमें पंजीकरण द्वारा और प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता शामिल है। 1951 का कन्वेंशन इस अधिकार को मान्यता देता है लेकिन भारत कन्वेंशन का पक्षकार न होने के कारण मानवीय आधार पर शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देता है। शरणार्थियों के लिए इन प्रावधानों का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करना होगा।

जन्म और शरणार्थियों द्वारा नागरिकता

यह भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करता है। यह कानून की धारा 3 के तहत दिया गया है. इस प्रावधान को समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया

गया है क्योंकि प्रारंभ में इसमें प्रावधान था कि भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसमें कई बार संशोधन किया गया है. इसमें प्रावधान है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक है जिसका जन्म नागरिकता के दिन या उसके बाद भारत में हुआ हो (संशोधन) अधिनियम, 2003 एवं किसका:

- माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या
- माता-पिता में से एक भारत का नागरिक है और दूसरा माता-पिता अवैध प्रवासी नहीं है।

वर्तमान में ऊपर दिया गया यह प्रावधान लागू है। भारत के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण करना। यह प्रावधान वर्तमान में भारत में जन्मे व्यक्ति की नागरिकता निर्धारित करने के लिए लागू किया जाता है।

उपरोक्त के साथ, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका जन्म हुआ है:

- 26 जनवरी 1960 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले।
- 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन CAA के प्रारंभ होने से पहले, 2003, और माता-पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है।

पहले का प्रावधान जिसमें कहा गया था कि भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, एक बहुत ही खुला प्रावधान था, क्योंकि यह उन शरणार्थी बच्चों को नागरिकता देता था जिन्होंने भारत में जन्म लिया था, भले ही उनके माता-पिता भारतीय नागरिक नहीं थे। इसलिए शरणार्थियों द्वारा नागरिकता के स्वत: अधिग्रहण को रोकने के लिए संशोधन किए गए। यह बड़ी आसानी से नागरिकता बढ़ा और बांट रहा था और देश के संसाधनों पर बोझ भी बढ़ा रहा था। इस धारा में समय-समय पर शरणार्थियों की भारी आमद की प्रतिक्रिया के रूप में संशोधन किया गया था, जिनके बच्चे भारत में अपने जन्म के कारण भारतीय नागरिकता का दावा करने में सक्षम थे और रिश्तेदारी संबंधों को जोड़कर इसे नियंत्रित किया गया था। इसे नियंत्रित करने के लिए 2003 में सीएए द्वारा अवैध प्रवासियों की अवधारणा को शामिल किया गया था। इसमें प्रावधान है कि एक विदेशी जो वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज या कानून द्वारा निर्धारित अन्य वैध दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करता है या यदि ऐसे दस्तावेजों के साथ प्रवेश किया है, लेकिन अवधि समाप्त हो गई है। अवैध प्रवासी होगा।

2003 के इस संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों को और अधिक सख्त बना दिया गया। अब यह आवश्यक हो गया है कि भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिकता तभी मिल सकती है, जब उसके माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक हों या यदि एक

भारतीय नागरिक है, तो दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। यह प्रावधान उन शरणार्थी बच्चों को नागरिकता देने पर रोक लगाता है जो भारत में पैदा हुए हैं और जिनके माता-पिता अवैध प्रवासी हैं। इसलिए, पहले के प्रावधानों में शरणार्थियों को जन्म से नागरिकता की अनुमति थी लेकिन अब उन्हें जन्म से भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है।

निष्कर्ष

इस शोध पत्र का उद्देश्य भारत के संविधान और नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत शरणार्थियों की नागरिकता के प्रावधानों का विश्लेषण करना था। भारतीय संविधान का भाग ॥ नागरिकता के बारे में विस्तृत प्रावधान देता है, परंतु शरणार्थियों के संदर्भ में सीधे तौर पर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं देता। संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 विभाजन के समय पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करते हैं, लेकिन इन्हें शरणार्थी के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 ने संसद को नागरिकता प्रदान करने, समाप्त करने और रद्द करने के व्यापक अधिकार दिए हैं। इस अधिनियम ने नागरिकता देने के विभिन्न तरीकों का प्रावधान किया है जिसमें शरणार्थियों को पंजीकरण और प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। जन्म के आधार पर नागरिकता के प्रावधानों में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं, खासकर शरणार्थियों के बच्चों के संबंध में, ताकि नागरिकता का स्वचालित अधिग्रहण रोका जा सके और अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्राप्त करने से रोका जा सके।

2003 के संशोधन द्वारा अवैध प्रवासियों की परिभाषा और नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों को सख्त बनाया गया है। अब भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। इस प्रकार, संविधान और नागरिकता अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों ने शरणार्थियों के बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने से रोक दिया है, जो कि पहले की तुलना में अधिक कठोर है।

इस शोध पत्र से स्पष्ट होता है कि भारत में शरणार्थियों की नागरिकता के प्रावधान एक जटिल और विकासशील प्रक्रिया है। संविधान और नागरिकता अधिनियम ने विभिन्न समय पर परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक संशोधन किए हैं ताकि नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और नियंत्रित किया जा सके। इस दिशा में आगे के शोध और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है ताकि शरणार्थियों के मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए उनकी नागरिकता की समस्या का समाधान किया जा सके।

सन्दर्भ

- गौबा ओ.पी., 2011, पश्चिमी राजनीतिक विचारक, एड। वी, मेजर पेपरबैक्स.
- अशेष ए. एवं थिरुवेंगदाम ए., नागरिकता कानून पर रिपोर्ट: भारत, एड. जुलाई 2017.
- यूरोपीय विश्वविद्यालय संस्थान और उन्नत अध्ययन प्रकाशन के लिए रॉबर्ट शुमान सेंटर.
- नागरिकता अधिनियम, 1955

****